संख्या : 1175/III(3)/2020-04(एन0एच0)/2012

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3 देहरादूनः दिनांकः 08 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में विशेष आयोजनागत सहायता (एस.पी.ए.) के अन्तर्गत निर्माणाधीन डुंगरीपंथ-छॉतीखाल-खेड़ाखाल मो0 मार्ग हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-85/20 बजट(एस0पी0ए0)/2020-21 दिनांक 14.05.2020 के क्रम में डुंगरीपंथ-छॉतीखाल-खेड़ाखाल मो0 मार्ग के सुधारीकरण एवं 1.5 लेन में परिवर्तन के कार्य हेतु ₹235.73 लाख (₹ दो करोड़ पैंतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमोदित लागत के विपरीत अधिक धनराशि किसी भी स्थिति में आहरित कर उपयोग नहीं की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष का माना जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य के निर्माण में ही किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व उक्त की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय प्रगति के मानकों एवं लक्ष्य के अनुरूप इस धनराशि का उपयोग भी चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-252/III(3)/2011-901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/ व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (संशोधित) तथा समय-समय पर निर्गत नियमों/शासनादेशों में निहित प्रावधानों को अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(7) वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-370/09(150)-2019/XXVII/2020 दिनांक 29.05. 2020 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-51/III(3)/13-07(S.P.A)/12 दिनांक 23.01.2013 एवं आदेश संख्या-528/III(3)/13-7(S.P.A)/12 दिनांक 04.08.2018 एवं इस सम्बन्ध में निर्गत अन्य शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-22

के लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05–सड़कें, 337–सड़क निर्माण कार्य, 02–विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत सड़कें/सेतु का निर्माण–00–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का कम्प्यूटर अलोटमेन्ट आई0डी0सं0–S 2010022000 3 दिनांक 08/10/2020 संलग्न है।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्याः 1175(1)/ III(3)/2020–04(एन0एच0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल, पौड़ी।
4. सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु (ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

पृष्ठांकन सं– 882/ 20 पाता क/20 दि– 14/10/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेतर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

(1) मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु लो.नि.वि, देहरादून
2) अधीक्षण अभियन्ता 10 वां वृत्त रा.मा. लो.नि.वि, देहरादून
3) अधिशासी अभियन्ता आई.टी. सैल प्रमुख अभि. एवं विभागाध्यक्ष, लो.नि.वि. कार्यालय देहरादून को अपडेट किये जाने हेतु प्रेषित,
4– बजट/प्राविधान वर्ग प्रमुख अभि. एवं विभागाध्यक्ष कार्या. लो.नि.वि. देहरादून।

(वाई0 एस0 रावत)

10/8/2020

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1175/III(3)/2020-04(NH)2012

आवंटन आई डी-S20100220003

अनुदान संख्या-022

आवंटन पत्र दिनांक-08-OCT-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

05-Roads

337-सडक निर्माण कार्य

02-विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत सड़कें/ सेतु का निर्माण

00-0

Voted

5	0	5	4	0	5	3	3	7	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	0	23573000	0	23573000
योग	0	23573000	0	23573000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,35,73,000 (Rupees Two Crores Thirty Five Lacs Seventy Three Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

09.X.2020

10/8/2020

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन आई डी-S20100220003

आवंटन पत्र संख्या -1175/III(3)/2020-04(NH)2012

आवंटन पत्र दिनांक-08-OCT-2020

अनुदान संख्या-022

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	05-Roads
	337-सडक निर्माण कार्य	02-विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत सड़कें/ सेतु का निर्माण
	00-0	Voted

5	0	5	4	0	5	3	3	7	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	0	23573000	0	23573000
योग	0	23573000	0	23573000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,35,73,000 (Rupees Two Crores Thirty Five Lacs Seventy Three Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

09.X.2020

(दिनेश कुमार) अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।